[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
(Central Board of Excise and Customs)

Notification

No. 36/2014-CUSTOMS (N. T.)

New Delhi, 30th April, 2014 10 Vaisakha, 1936 (SAKA)

S.O. ... (E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely:-

"TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	920
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	943
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	932
4	1511 10 00	Crude Palmolein	961
5	1511 90 20	RBD Palmolein	964
6	1511 90 90	Others – Palmolein	963
7	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	980
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3871
9	1207 91 00	Poppy seeds	3255

TABLE-2

Sl.	Chapter/ heading/	Description of goods	Tariff value
No.	sub-heading/tariff		(US \$)
	item		
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Gold, in any form, in respect of	
		which the benefit of entries at serial	
	71 or 98	number 321 and 323 of the	422 per 10 grams
		Notification No. 12/2012-Customs	
		dated 17.03.2012 is availed	
2		Silver, in any form, in respect of	
		which the benefit of entries at serial	
	71 or 98	number 322 and 324 of the	632 per kilogram
		Notification No. 12/2012-Customs	
		dated 17.03.2012 is availed	

TABLE-3

	Chapter/ heading/	Description of goods	Tariff value
No.	sub-heading/tariff		(US \$ Per Metric
	item		Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	1908"

[F. No. 467/01/2014-Cus-5]

(SATYAJIT MOHANTY)

Director (ICD)

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 31/2014-Customs (N.T.), dated the 15th April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O 1090(E) Dated, the 15th April, 2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-🗅, खंड-3, उपखंड (🗅) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 36/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

10 बैसाख, 1936 (शक)

का. आ. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	920
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	943
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	932
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	961
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	964
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	963
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	980
8	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)	3871
9	1207 91 00	पोस्त बीज	3255

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	422 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	632 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम.	अध्याय/शीर्ष/		
सं.	उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य
			अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	1908"

[फा. सं. 467/1/2014 -सीमा शुल्क-V]

(सत्यजीत मोहंति)

निदेशक, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-००, खंड-3, उपखंड (००) में अधिसूचना सं. 36/2001- सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 15 अप्रैल, जिसे का. आ. 1090(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-००, खंड-3, उपखंड (००) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।